The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

रांची
01/04/2019

इकफ़ाई विश्वविद्यालय में उपभोक्ता की आवाज पर कार्यक्रम आयोजित

इकफ़ाई विश्वविद्यालय झारखंड मे एक दिन का **"उपभोक्ताओं की आवाज"** पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे उपभोक्ता कानूनों पर उपभोक्ताओं की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम मे जस्टिस रमेश कुमार मेरठिया, (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय) मुख्य अतिथि थे और अन्य सममानीय अतिथि श्री जे.पी. अग्रवाल, (सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, रांची) और श्री जयंत प्रसाद, (सदस्य, विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, रांची) थे।

इससे पहले, बीबीए-एलएलबी और पैरा-लीगल वालंटियर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, रांची के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के आसपास स्थित सिमलिया गाँव में उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस कार्यक्रम में, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमे उपभोक्ता कानून के मामलों पर बहस करने के लिए कहा गया था। प्रतियोगिता के निर्णायक न्यायमूर्ति रमेश कुमार मेरठिया थे।

इस मौके पर इकफ़ाई विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने दर्शकों का स्वागत करते हुए कहा, की "गुणवत्ता के सामान और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए, जैसा कि उपभोक्ता कानूनों में निहित है और यह भी जानना चाहिए कि उनकी शिकायतों को औपचारिक रूप से कैसे निवारण किया जाए। प्रो राव ने कहा की आज के आयोजन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि पूरे समाज को फायदा हो"।

छात्रों को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति श्री न्यायमूर्ति रमेश कुमार मेरठिया ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या की और जोर दिया कि यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य कानूनों के अतिरिक्त है। उन्होंने अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन का भी सुझाव दिया ताकि उपभोक्ता विवादों से निपटने के लिए कानून और अधिक संवेदनशील और लाभदायक बने।

श्री जे.पी. अग्रवाल ने प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक 2018 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला। श्री जयंत प्रसाद ने इस संबंध में बिजली संरक्षण अधिनियम और विद्युत नियामक आयोग और विद्युत लोकपाल की भूमिका के बारे में उपभोक्ता संरक्षण तंत्र के बारे में बताया।

मुख्य अतिथि कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मान्यता के पुरस्कार वितरित किए। सुश्री निशा कुमारी मिश्रा, प्रथम वर्ष बीबीए-एलएलबी की छात्रा को मूट कोर्ट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया।

आयोजन में विश्वविद्यालय के छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन डॉ। बी.एम. द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ/

======